

फॉर्म-1

दिनांक 01-01-2024 को अचल संपत्ती का विवरण पत्र

अधिकारी/कर्मचारी का नाम (पूरा नाम) तथा कार्यालय का नाम -

वर्तमान पद --

वर्तमान वेतन --

उस जिल्हा, उप-विभाग तालुका तथा गाव का नाम जहां संपत्ती स्थित है	नाम तथा संपत्ती की जानकारी		वर्तमान मूल्य (रु)*	यदि स्वयं के नाम न हो तो उस व्यक्ति का नाम तथा उससे सरकारी कर्मचारी का रिश्ता जिसके नाम यह संपत्ती है।	किस तरह प्राप्त हुआ, खरीद बंधक संपत्ति @, उपहार स्वरूप या अन्यरूप से, तिथी तथा नाम के साथ विवरण जिससे प्राप्त हुआ।	संपत्ती से होने वाला वार्षिक आय %	अभियुक्ति
	घर तथा अन्य इमारत	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

दिनांक -

हस्ताक्षर -

स्थान--

नाम -

पदनाम -

% जो लागू नहीं हो उसे काट दिया जाए।

* ऐसे मामले जहां यथार्थ मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं है, उन मामलों में वर्तमान शर्तों के अनुसार अनुमानित मूल्य दर्शाए

@ अल्प अवधि पट्टा (short term lease) भी समाविष्ट है।

टिप्पणी - नागरी सेवा आचरण नियमावली 1964 नियम 18 के तहत सर्ग 'क' तथा 'ख' के प्रत्येक सदस्यों द्वारा सर्वप्रथम सेवा में नियुक्ती होने पर तथा तदपश्चात हर प्रत्येक बारह माह के अंतराल से स्वयं द्वारा खरीदी, पुश्तैनी उपहार में प्राप्त तथा लीज और मोर्टगेज में रखी हुई स्वयं के नाम से या परिवार के किसी अन्य सदस्यों के नाम इत्यादि का विवरण अचल समपत्ती के घोषित विवरण में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

फॉर्म-II

दिनांक 01-01-2024 के अनुसार अचल संपत्ती के व्यवहार को दर्शाने वाला विवरण पत्र जो अश्रीत के निधि किया गया है। (जिसमे स्त्रीधन) पुश्तैनी उपहार इत्यादि सम्मिलित है।

अधिकारी/कर्मचारी का नाम (पूरा नाम) तथा कार्यालय का नाम --

वर्तमान पद --

वर्तमान वेतन --

जिस स्थान पर संपत्ति स्थित है उस जिल्हा, उप-विभाग तालुका तथा गाव का नाम	नाम तथा संपत्ती की जानकारी		वर्तमान मूल्य (रु)*	यदि स्वयं के नाम न हो तो उस व्यक्ति का नाम तथा उससे सरकारी कर्मचारी का रिश्ता जिसके नाम यह है।	किस तरह प्राप्त हुआ, खरीद @, बंधक संपत्ति, उपहार स्वरूप या अन्यरूप से, तिथी तथा नाम के साथ विवरण जिससे प्राप्त हुआ।	संपत्ती से होने वाला वार्षिक आय %	अभियुक्ति
	घर तथा अन्य इमारत	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

दिनांक -

हस्ताक्षर -

स्थान--

नाम

% जो लागू नहीं हो उसे काट दिया जाए।

पदनाम -

* ऐसे मामले जहा यथार्थ मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं है, उन मामलो में वर्तमान शर्तों के अनुसार अनुमानित मूल्य दर्शाए

@ अल्प अवधि पट्टा (short term lease) भी समाविष्ट है।

टिप्पणी - नागरी सेवा आचरण नियमावली 1964 नियम 18 के तहत सवर्ग 'क' तथा 'ख' के प्रत्येक सदस्यों द्वारा सर्वप्रथम सेवा में नियुक्ती होने पर तथा तदपश्चात हर प्रत्येक बारह माह के अंतराल से स्वयं द्वारा खरीदी, पुश्तैनी उपहार में प्राप्त तथा लीज और मोर्टगेज में रखी हुई स्वयं के नाम से या परिवार के किसी अन्य सदस्यों के नाम इत्यादि का विवरण अचल समपत्ती के घोषित विवरण में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

Form III

Proforma for intimation under Rule 18(4) of CCS (conduct) Rules,1964 for transactions in shares, securities, debentures, investment in mutual fund schemes, etc.

1. Name of the Government servant :
 - (a) Designation :
 - (b) Service to which belongs :
 - (c) Employee No./ Code No. :
2. Scale of pay and present pay :
3. Details of each transaction made in shares, securities, debentures, mutual funds scheme, etc. during the calendar year. _____
4. Particulars of the party/ firm with whom transaction (s) is made: -
 - (a) Is party related to the applicant? _____
 - (b) Did the applicant have any dealings with the party in his/her official capacity at any time or is the applicant likely to have any dealings with him in the near future? _____
5. Source (s) from which financed: -
 - (a) personal savings
 - (b) Other sources giving details.
6. Any other relevant facts which applicant may like to mention.

Declaration

I hereby declare that the particulars given above are true.

Place:

Signature

Date :

Name & Designation